

फाईल सं. 05/01/2014-सीएसआर

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

पांचवां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001, 17 सितंबर, 2014

सेवा में,

सभी प्रादेशिक निदेशक,
सभी कंपनी रजिस्ट्रार,
सभी हितधारक

विषय: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण

महोदय,

सामान्य परिपत्र संख्या 21/2014 दिनांक 18.06.2014 के अनुक्रम में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं -

- (i) दिनांक 27.02.2014 को यथा अधिसूचित कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 का नियम 4(6) 12.09.2014 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है; और
- (ii) इसके परिणामस्वरूप सामान्य परिपत्र संख्या 21/2014 दिनांक 18.06.2014 में स्पष्टीकरण (iv) का लोप हो जाता है।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीया,
सीसा रथ
(सीमा रथ)

सहायक निदेशक (सीएसआर)

दूरभाष: 011-23384657

प्रतिलिपि:

1. सचिव के पीएसओ
2. अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव
3. महानिदेशक (आईआईसीए) के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव (एम)/संयुक्त सचिव (बी)/संयुक्त सचिव (एडीएम)/संयुक्त सचिव (एसपी)/डीआईआई (एनएस)/आर्थिक सलाहकार/डीआईआई (नीति) के निजी सचिव
5. निदेशक (एके)/निदेशक (एनसी)/निदेशक (पीएस)/निदेशक (आरएंडए)
6. ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ को एमसीए की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
7. गार्ड फाईल

MSP
18/9
SAC (R)

F.No.05/01/2014-CSR
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing
Shastri Bhawan, Dr. R.P. Road,
New Delhi-110001
Dated: 17.09.2014

To
All Regional Director,
All Registrar of Companies,
All Stakeholders


Subject: Clarification with regard to provisions of Corporate Social Responsibility (CSR) under section 135 of the Companies Act, 2013.

Sir,

In continuation of the General Circular No. 21 of 2014 dated 18.06.2014, the following clarifications are hereby issued:

- (i) Rule 4(6) of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 as notified on 27.02.2014 has been amended by notification dated 12.09.2014; and
 - (ii) Consequently, clarification (iv) in General Circular No. 21 of 2014 dated 18.06.2014, stands omitted.
2. This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully,



(Seema Rath)
Assistant Director (CSR)
Tel: 011-23384657

Copy to:

1. PSO to Secretary
2. PPS to Additional Secretary
3. PS to DG(IICA)
4. PS to JS(M)/JS(B)/JS(ADM)/JS(SP)/DII (NS)/EA/DII (Policy)
5. DIR (AK)/ DIR (NC)/ DIR(PS)/DIR (R&A)
6. e-Governance Cell for uploading on website of MCA
7. Guard File.